



2026:AHC:174609

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत

आवेदन संख्या - 8537 सन् 2026

मोहम्मद नाजिम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: अजय यादव, सत्य पाल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता

: जी०ए०

न्यायालय कक्ष संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. राज्य की ओर से विद्वान ए० जी० ए०-प्रथम श्री विजय कुमार ने न्यायालय को अवगत कराया कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं, इसलिए वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन का अंतिम रूप से निस्तारण किया जा सकता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्य पाल सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान ए० जी० ए०-प्रथम श्री विजय कुमार को सुना गया।
3. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट/वाद अपराध संख्या 494 सन् 2019, धारा 109, 147, 149, 332, 336, 427, 436, 188 आई० पी० सी० तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3/4 एवं आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7, पुलिस थाना-कोतवाली संभल, जनपद-संभल में इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे विचारण के दौरान अग्रिम जमानत पर उन्मोचित किया जाए।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि, तथापि, यह आवेदक की ओर से दाखिल किया गया तीसरा अग्रिम जमानत आवेदन है, लेकिन उसके पूर्व के दोनों अग्रिम जमानत आवेदन गुण-दोष के आधार पर निरस्त नहीं किए गए हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 29.07.2021 को आग्रहित न किए जाने के रूप में निरस्त किया गया था और उसका दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन अभियोजन न किए जाने के कारण निरस्त किया गया था।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि आवेदक निर्दोष है और मिथ्या आरोप के आधार पर उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि वाद का विचारण लंबित है और यद्यपि वर्ष 2020 से आवेदक के विरुद्ध वारंट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन आवेदक फरार नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि आवेदक को आशंका है कि यदि वह संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा।
7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि अन्य सभी सह-अभियुक्तों को भी जमानत पर उन्मोचित किया जा चुका है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि इसलिए, उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, आवेदक को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर उन्मोचित किया जा सकता है।
8. इसके विपरीत, विद्वान ए० जी० ए० ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि यह आवेदक की ओर से दाखिल किया गया तीसरा अग्रिम जमानत आवेदन है और यद्यपि आवेदक के पूर्व के दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्रों का गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं किया गया था, लेकिन आदेशों से यह स्पष्ट है कि आवेदक इस न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत करने के लिए अनिच्छुक था और उसकी अनिच्छा के कारण पूर्व के दोनों अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिए गए थे।
9. विद्वान ए० जी० ए० ने आगे प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामला भी वर्ष 2019 का है और वर्तमान मामले में आरोप-पत्र पहले ही वर्ष 2020 में दाखिल किया जा चुका है तथा आवेदक ने संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बजाय इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान तीसरा अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया है।
10. विद्वान ए० जी० ए० ने आगे प्रस्तुत किया है कि मामले के अभिलेख से भी यह प्रतिबिंबित होता है कि आवेदक के विरुद्ध वारंट जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त भी आवेदक का छह अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है।



- 11.विद्वान ए० जी० ए० ने आगे प्रस्तुत किया है कि इसलिए, मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, आवेदक अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है, अतः आवेदक द्वारा दाखिल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- 12.मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।
- 13.यह आवेदक की ओर से दाखिल किया गया तीसरा अग्रिम जमानत आवेदन है और यद्यपि आवेदक के पूर्व के दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्रों का गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं किया गया है, लेकिन इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व के आदेशों से भी यह प्रतिबिंबित होता है कि आवेदक अपने पूर्व के अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्रों को गुण-दोष के आधार पर आग्रहित करने के लिए अनिच्छुक था।
- 14.इसके अतिरिक्त, यह भी परिलक्षित होता है कि वर्तमान मामला वर्ष 2019 का है, जिसमें वर्ष 2020 में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है और तब से यद्यपि लगभग छह वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बावजूद आवेदक ने वर्तमान तीसरा अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया।
- 15.इसके अतिरिक्त, यह भी परिलक्षित होता है कि आवेदक के विरुद्ध बलपूर्वक उपाय किए जा रहे हैं और आवेदक का छह अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास भी है।
- 16.अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरी राय में, आवेदक अग्रिम जमानत पर उन्मोचित किए जाने का हकदार नहीं है।
- 17.तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन **निरस्त** किया जाता है।
- 18.यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को वर्तमान अग्रिम जमानत प्रदान करने का निर्णय करते समय की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से माननीय विचारण न्यायमूर्ति को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

19 अगस्त, 2026

ए० के० पांडेय

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।